

बिहार ईंट आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण अधिनियम, 1984

[बिहार अधिनियम 13, 1984]¹

(बिहार विधान-मण्डल द्वारा यथापारित)

बिहार में ईंट की आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में बिहार-राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित शब्दों में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार ईंट आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण अधिनियम, 1984 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अधिनियम में—

(क) "ईंट" से अभिप्रेत है निर्माण के लिये मिट्टी की बनी सामान्य ईंट जो भट्टे में पकाई हुई और निर्धारित ज्यामितीय आकृतिवाली हो,

(ख) "भट्टा" से अभिप्रेत है कोई ऐसी संरचना जिसका उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से ईंट पकाने के लिये किया जाता हो,

(ग) "व्यापारी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ईंट का व्यापार करता हो या बिक्री के लिये ईंट का स्टॉक रखता हो तथा इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अधिकर्ता (एजेन्ट) भी है, और

(घ) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो भट्टा में ईंट के विनिर्माण कार्य में लगा हो।

3. ईंट की आपूर्ति वितरण एवं मूल्य नियंत्रित करने की राज्य सरकार को शक्ति—राज्य सरकार, जहाँ तक उसे ईंट की आपूर्ति नियंत्रित करने या उसके सामायिक वितरण तथा उसे समुचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा व्यापार की ईंट एवं ईंट के व्यापारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का उपबन्ध कर सकेगी—

(क) ईंट के विनिर्माण एवं वितरण की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) द्वारा या अन्यथा विनियमन;

(ख) ईंट की खरीद या बिक्री की कीमत नियंत्रित करना;

(ग) पूर्वोक्त बातों को विनियमित करने की दृष्टि से कोई जानकारी या आंकड़े इकट्ठा करना;

(घ) विनिर्माताओं, व्यापारियों या भट्टों के स्वामियों से ईंट के निर्माण में ऐसे लेखे और अभिलेख रखने तथा उन्हें निरीक्षणार्थ पेश करने और उससे सम्बद्ध ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करना, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो;

(ङ) विनिर्मित की जानेवाली ईंटों की आकार-प्रकार नियंत्रित करना, ताकि आवश्यक वस्तुओं की खपत में मितव्ययिता सुनिश्चित की जा सके;

(च) प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा उप-समाहर्ता के न्यून स्तर के पदाधिकारी नहीं होंगे और जिनका युक्तियुक्त कारणों से यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, परिसरों में प्रवेश तथा निरीक्षण करना; और

(छ) खण्ड (क); (ख); (ग); (घ); (ङ); और (च) के उपबन्धों से सम्बन्धित कोई आनुषंगिक तथा अनुपूरक विषय।

4. शक्ति का प्रत्यायोजन—राज्य सरकार, शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि आदेश में यथाविनिर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में तथा शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन, धारा 3 के अधीन आदेश करने

1. बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 17.5.1984 में प्रकाशित।

की शक्ति का आदेश में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा।

5. धारा के उपबन्ध अन्य विधियों पर अधिभावी होंगे—उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी धारा 3 के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

6. धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह छः महीने तक के कारावास या 1000 रु. तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में प्रयुक्त "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कोई कम्पनी या फर्म या अन्य निगमित निकाय और उसका प्रत्येक निदेशक, सचिव तथा अन्य पदाधिकारी या एजेंट भी है।

7. मिथ्या कथन—(1) जब किसी व्यक्ति से धारा 3 के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा कोई कथन करने या जानकारी देने की अपेक्षा की जाय और वह ऐसा कथन करे या जानकारी दे जिसकी तात्त्विक विशिष्टियाँ मिथ्या हों और जो उनकी जानकारी में मिथ्या हों या जिसके सम्बन्ध में उसे ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है अथवा जिसके सत्य होने में उसे विश्वास नहीं हो, या

(2) जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी बही, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में, जिसे रखने या प्रस्तुत कराने की उससे ऐसे आदेश द्वारा अपेक्षा की गयी हो यथापूर्वक कोई कथन करे जो मिथ्या पाया जाय तो वह छः महीने तक के कारावास या 1,000 रु० तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

8. अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति—इस निमित्त सम्यक रूप में सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट किसी अपराध का दण्ड-प्रक्रिया-संहिता 1973 के अध्याय 21 में अधिकथित संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण करेगा।

9. अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसारेण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार किसी पदाधिकारी या प्राधिकारों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

10. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना निर्गत कर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संगत नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन में, जबकि वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी। जिस सत्र में यह रखा जाय उस सत्र में या उसके ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व यदि दोनों सदन, नियम में कोई संशोधन अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन करे तो वह तदनुसृत में प्रभावी होगा, किन्तु पूर्व में बनाये गये नियम के अन्तर्गत किये गये किसी कार्य की वैधता, अथवा नियमितता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार ईट आपूर्ति नियंत्रण चतुर्थ अध्यादेश 1983 (बिहार अध्यादेश संख्या 6, 1984) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

THE BIHAR BRICKS SUPPLIES AND PRICE CONTROL ACT, 1984

[Bihar Act No. 13 of 1984]¹

An Act to control the supply and price of bricks in Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Thirty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Bricks Supplies and Price Control Act, 1984.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force, immediately.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) 'Bricks' means common burnt clay building bricks in a kiln and having geometrical shape;

(b) 'Kiln' means structure used for firing bricks for commercial use;

(c) 'Dealer' means any person who deals in bricks or holds stocks of bricks for sale and includes his representative or agent;

(e) 'Manufacture' means a person engaged in the manufacture of bricks in kiln.

3. Power of State Government to control supply, distribution and price of bricks.—The State Government in so far as it appears to it to be necessary or expedient for controlling the supply of bricks or for securing their equitable distribution and availability at reasonable price may by order published in the Official Gazette, provide for in respect of bricks for trade and traders of bricks the following provisions:—

(a) regulating by licences, permits or otherwise the manufacture and distribution of bricks;

(b) controlling the prices at which bricks may be bought or sold;

(c) collecting any information or statistics with a view to regulating the aforesaid matters;

(d) requiring manufacturers, dealers or kiln-owners to maintain and produce for inspection such accounts and records regarding bricks and furnishing such information relating thereto, as may be specified in the order;

(e) controlling the size and type of bricks to be manufactured to ensure economy in consumption of essential materials;

(f) entering and inspecting the premises by the authorised officers who would not be below the rank of Deputy Collector and who have sufficient reasons to believe that contravention of any order made under this Act has been committed or is being committed;

(g) any incidental and supplementary matters connected with the provisions in clauses (a), (b), (c) (d), (e) and (f);

4. Delegation of powers.—The State Government may, by notification, published in the official Gazette, direct that the power to make orders under Section 3 shall, in relation to such matter and subject to such conditions, if any, as may be

1. Received assent on 28.5.1984 and published in Bihar Gazette (Ex-ord). No. 325 dated 9.6.1984.

specified in the order, be exercisable by such officer or authority as may be specified in the order.

5. Provisions of Section 3 to prevail over other laws.—The provisions of Section 3 shall have effect, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

6. Penalty for contravention of the provisions of Section 3.—If any person contravened or abets the contravention of any order made under Section 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine upto Rs. 1,000 or with both.

Explanation.—The expression 'person' in this section includes any company or firm or body corporate and every Director, Secretary or other officer or agent thereof.

7. False statement.—(1) When any person required by any order passed under Section 3 to make any statement or furnish any information makes such statement or gives such information which is false in any material particular and which he knows or has reason to believe to be false, or

(2) When any such person makes any such statement as aforesaid in any book of account, record, declaration or return or any other document which he is required by such order to maintain or furnish, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine upto Rs. 1,000 or with both.

8. Power to try offences summarily.—Any Magistrate duly empowered in this behalf shall try the offences summarily in accordance with procedure of summary trials laid down in Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

9. Protection of action taken under the Act.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority for any act done in good faith or intended to be so done in pursuance of an order made under this Act.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules consistent with the provisions of this Act for carrying out the purposes of the Act.

(2) Every rule made under this section shall immediately after as it is made be laid in each House of the State legislature while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in the successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is laid or the session immediately following, both Houses agree that, the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

11. Repeal and savings.—(1) The Bihar Bricks Supplies (Control) Fourth Ordinance, 1983 (Bihar Ordinance No. 6, 1984) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.